उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

मांग संख्या 15

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	281763.48	12011.48	293774.96	205363.57	25150.37	230513.94	221722.71	25201.93	246924.64	212976.21	50043.54	263019.75
वसूलियां	*-30.43*	...	*-30.43*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	*-10000.00*	*-10000.00*	...	*-25000.00*	*-25000.00*	...	*-25000.00*	*-25000.00*	...	*-50000.00*	*-50000.00*
निवल	**281733.05**	**2011.48**	**283744.53**	**205363.57**	**150.37**	**205513.94**	**221722.71**	**201.93**	**221924.64**	**212976.21**	**43.54**	**213019.75**
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	72.38	...	72.38	79.99	3.36	83.35	329.52	4.66	334.18	75.83	5.02	80.85
2. राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर	22.89	2.72	25.61	28.00	1.92	29.92	27.70	2.02	29.72	26.32	4.63	30.95
3. खाद्य, भंडार और माल गोदाम के अन्य स्थापना व्यय	16.75	29.53	46.28	36.40	45.09	81.49	33.50	47.99	81.49	48.31	7.37	55.68
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**112.02**	**32.25**	**144.27**	**144.39**	**50.37**	**194.76**	**390.72**	**54.67**	**445.39**	**150.46**	**17.02**	**167.48**
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
खाद्य सब्सिडी												
4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सब्सिडी	200219.20	...	200219.20	137207.00	...	137207.00	139662.00	...	139662.00	...	...	...
5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति के लिए खाद्य सब्सिडी	72282.49	...	72282.49	59793.00	...	59793.00	72250.00	...	72250.00	...	...	...
6. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	205250.00	...	205250.00
7. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देय चीनी राजसहायता	300.69	...	300.69	350.00	...	350.00	420.00	...	420.00	0.01	...	0.01
जोड़-खाद्य सब्सिडी	**272802.38**	**...**	**272802.38**	**197350.00**	**...**	**197350.00**	**212332.00**	**...**	**212332.00**	**205250.01**	**...**	**205250.01**
8. भारतीय खाद्य निगम को देय अर्थोपाय अग्रिम												
8.01 भारतीय खाद्य निगम को देय अर्थोपाय अग्रिम	...	10000.00	10000.00	...	25000.00	25000.00	...	25000.00	25000.00	...	50000.00	50000.00
8.02 भारतीय खाद्य निगम को देय अर्थोपाय अग्रिम का पुनर्भुगतान	...	-10000.00	-10000.00	...	-25000.00	-25000.00	...	-25000.00	-25000.00	...	-50000.00	-50000.00
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. चीनी के 40 एलएमटी के बफर स्टॉक का सृजन और अनुरक्षण की स्कीम	0.09	...	0.09	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
10. चीनी के बफर स्टॉक के सृजन और अनुरक्षण के लिए योजना	3.00	...	3.00	...	...	...	0.46	...	0.46	...	...	...
11. चीनी मौसम 2019-2020 के लिए चीनी मिलों को सहायता हेतु स्कीम	8.32	...	8.32	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12. इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम	175.00	...	175.00	400.00	...	400.00	400.00	...	400.00	450.00	...	450.00
13. चीनी निर्यात पर हैंडलिंग, उन्नयन और अन्य प्रसंस्करण लागत सहित विपणन लागत तथा अंतर्राष्ट्रीय और आतंरिक परिवहन की लागत एवं माल भाड़ा प्रभारों पर किए गए व्यय हेतु चीनी मिलों को सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम	15.28	...	15.28	...	...	...	...	...	...	...	...	...
चीनी उद्योग का विकास												
14. चीनी उद्योग विकास स्कीम												
14.01 चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता/अन्य व्यय	16.00	...	16.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	0.01	...	0.01
14.02 विद्युत परियोजनाओं के खोई आधारित सह-उत्पादन के लिए चीनी कारखानों को ऋण	...	40.56	40.56	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14.03 एनहाइड्रस अल्कोहल या अल्कोहल से इथेनाल के उत्पादन हेतु चीनी कारखानों को ऋण	...	0.46	0.46	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- चीनी उद्योग विकास स्कीम	*16.00*	*41.02*	*57.02*	*10.00*	*...*	*10.00*	*10.00*	*...*	*10.00*	*0.01*	*...*	*0.01*
15. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालन का सुदृढ़ीकरण	0.80	...	0.80	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	0.54	...	0.54
16. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समेकित प्रबंधन	31.64	...	31.64	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17. भंडारण और गोदाम	...	38.21	38.21	3.57	100.00	103.57	3.57	147.26	150.83	...	0.01	0.01
18. वास्तविक वसूली	-30.43	...	-30.43	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	**273022.08**	**79.23**	**273101.31**	**197768.57**	**100.00**	**197868.57**	**212751.03**	**147.26**	**212898.29**	**205700.56**	**0.01**	**205700.57**
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
19. माल गोदाम विकास और विनियामक प्राधिकरण	15.17	...	15.17	22.00	...	22.00	22.10	...	22.10	25.69	...	25.69
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
20. भारतीय खाद्य निगम की इक्विटी पूंजी में निवेश	...	1900.00	1900.00	...	...	...	...	...	...	...	0.01	0.01
अन्य												
21. पी. डी. एस.- मूल्यांकन, निगरानी और अनुसंधान	0.77	...	0.77	0.34	...	0.34	0.30	...	0.30	1.00	...	1.00
22. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभभोगियों में जागरूकता पैदा करना	1.14	...	1.14	3.67	...	3.67	3.67	...	3.67	...	...	...
जोड़-अन्य	**1.91**	**...**	**1.91**	**4.01**	**...**	**4.01**	**3.97**	**...**	**3.97**	**1.00**	**...**	**1.00**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	**17.08**	**1900.00**	**1917.08**	**26.01**	**...**	**26.01**	**26.07**	**...**	**26.07**	**26.69**	**0.01**	**26.70**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
23. चावल का पौष्टिकीकरण सुदृढ़ीकरण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इसका वितरण	9.84	...	9.84	...	...	...	0.11	...	0.11	...	...	...
24. एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों के अंतर्राज्यीय परिवहन हेतु राज्य एजेंसियों को सहायता और एफपीएस मार्जिन	8572.03	...	8572.03	7424.60	...	7424.60	8531.77	...	8531.77	7075.00	...	7075.00
25. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार हेतु योजना (स्मार्ट-पीडीएस)	...	...	...	...	...	...	23.01	...	23.01	23.50	26.50	50.00
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	**8581.87**	**...**	**8581.87**	**7424.60**	**...**	**7424.60**	**8554.89**	**...**	**8554.89**	**7098.50**	**26.50**	**7125.00**
कुल जोड़	***281733.05***	***2011.48***	***283744.53***	***205363.57***	***150.37***	***205513.94***	***221722.71***	***201.93***	***221924.64***	***212976.21***	***43.54***	***213019.75***
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. खाद्य भंडारण और माल गोदाम	273084.75	...	273084.75	197855.51	...	197855.51	212851.73	...	212851.73	205827.38	...	205827.38
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	72.30	...	72.30	79.99	...	79.99	329.52	...	329.52	75.83	...	75.83
3. खाद्य भंडारण और माल गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय	...	1970.46	1970.46	...	90.37	90.37	...	121.53	121.53	...	43.53	43.53
4. खाद्य, भंडारण और माल गोदाम के लिए ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	...	41.02	41.02	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**273157.05**	**2011.48**	**275168.53**	**197935.50**	**90.37**	**198025.87**	**213181.25**	**121.53**	**213302.78**	**205903.21**	**43.53**	**205946.74**
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	803.97	...	803.97	605.98	...	605.98	711.00	...	711.00
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	8340.91	...	8340.91	6373.60	...	6373.60	7633.98	...	7633.98	6195.00	...	6195.00
8. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	235.09	...	235.09	250.50	...	250.50	301.50	...	301.50	167.00	...	167.00
9. पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	60.00	60.00	...	80.40	80.40	...	0.01	0.01
जोड़-अन्य	**8576.00**	**...**	**8576.00**	**7428.07**	**60.00**	**7488.07**	**8541.46**	**80.40**	**8621.86**	**7073.00**	**0.01**	**7073.01**
कुल जोड़	**281733.05**	**2011.48**	**283744.53**	**205363.57**	**150.37**	**205513.94**	**221722.71**	**201.93**	**221924.64**	**212976.21**	**43.54**	**213019.75**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
भारतीय खाद्य निगम												

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
1. भारतीय खाद्य निगम	1938.21	30503.00	32441.21	100.00	145000.00	145100.00	147.26	22460.00	22607.26	0.02	31976.00	31976.02
जोड़-भारतीय खाद्य निगम	**1938.21**	**30503.00**	**32441.21**	**100.00**	**145000.00**	**145100.00**	**147.26**	**22460.00**	**22607.26**	**0.02**	**31976.00**	**31976.02**
जमा सहकारी समितियों को उधार												
2. केंद्रीय भंडारण निगम	...	421.14	421.14	...	380.00	380.00	...	530.00	530.00	...	651.00	651.00
जोड़-जमा सहकारी समितियों को उधार	**...**	**421.14**	**421.14**	**...**	**380.00**	**380.00**	**...**	**530.00**	**530.00**	**...**	**651.00**	**651.00**
जोड़	**1938.21**	**30924.14**	**32862.35**	**100.00**	**145380.00**	**145480.00**	**147.26**	**22990.00**	**23137.26**	**0.02**	**32627.00**	**32627.02**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर:** यह प्रावधान राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के स्थापना व्यय के लिए है।

3. **खाद्य, भंडार और माल गोदाम के अन्य स्थापना व्यय:** यह प्रावधान शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय, भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसन्धान संस्थान, केन्द्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला, गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष के स्थापना व्यय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अनाज परिषद और अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद के सदस्यता शुल्क के लिए है।

4. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सब्सिडी:** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पीएचएच, एएवाई तथा अन्य पात्र लाभार्थियों के बीच खाद्यान्न वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम को सब्सिडी।

5. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति के लिए खाद्य सब्सिडी:** यह प्रावधान खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत खरीद योजना के अंतर्गत केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की खरीद करने वाली राज्य सरकारों को एनेमिया और सूक्ष्म कुपोषण का समाधान करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्य सब्सिडी प्रदान करने के लिए है।

6. **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई):** सरकार के निर्णय के अनुसार दो खाद्य सब्सिडी योजनाएं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) के रूप में सम्मिलित की गई है। स्कीम के तहत लक्ष्य आधारित लोक संवितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से पीएचएच, एएवाई और एनएफएसए के अंतर्गत अन्य पात्रों लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्य अनाज वितरण किया जा रहा है।

7. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देय चीनी राजसहायता:** यह प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को सब्सिडी दर पर चीनी प्रदान करने के लिए है|

8. **भारतीय खाद्य निगम को देय अर्थोपाय अग्रिम:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के लिए खाद्यान्न की खरीद के सम्बन्ध में अपनी नकद धन की प्रवाह आवश्यकताओं की पूर्ति, बफर स्टॉक आवश्यकताओं और खाद्यान्न हैंडलिंग के लिए अर्थोपाय अग्रिम हेतु है। इस अग्रिम को उसी वित्त वर्ष में समायोजित कर लिया जाएगा।

12. **इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम:** यह प्रावधान चीनी मिलों के लिए एथनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नए इंसीनरेशन बॉयलरों की स्थापना करके मौजूदा डिस्टीलरियों में वर्ष के दौरान कार्य दिवस की संख्या बढ़ाकर तथा चीनी मिलों से संबद्ध नई डिस्टिलरियों की स्थापना करके एथनॉल उत्पादन क्षमता में विस्तार करने के लिए है।

14.01. **चीनी उद्योग विकास स्कीम:** यह प्रावधान एसडीएफ स्कीम के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को एजेंसी कमीशन के भुगतान करने के लिए है, जिसे अब बंद कर दिया गया है।

15. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालन का सुदृढीकरण:** यह प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण से संबंधित स्कीमों यथा - राज्य खाद्य आयोग और गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को सहायता के लिए है।

17. **भंडारण और गोदाम:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों के द्वारा भंडारण क्षमता के निर्माण (गोदाम और साइलो) के लिए है ।

19. **माल गोदाम विकास और विनियामक प्राधिकरण:** यह प्रावधान भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण को प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) तथा नेगोशिएबल वेयरहाऊस रसीदों/ट्रांस्फ़ार्मेशन प्लान की ऑनलाईन मानीटरिंग हेतु स्थापना व्यय एवं आई टी समर्थित प्रणाली संबंधी व्यय के लिए अनुदान-सहायता-वेतन तथा अनुदान-सहायता-सामान्य प्रदान करने के लिए है।

21. **पी. डी. एस.- मूल्यांकन, निगरानी और अनुसंधान:** इस परियोजना (पूर्ववर्ती 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचालनों का सुदृढ़ीकरण' योजना का घटक) के तहत प्रावधान चरण- II (2020-23) के लिए विभिन्न राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में रा. खा.

सु. अधि. (एनएफएसए) के कार्यान्वयन के समवर्ती मूल्यांकन में लगे निगरानी संस्थानों को भुगतान करने के लिए है। इस परियोजना की समाप्ति तिथि 31.03.2024 है।

22. **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभभोगियों में जागरूकता पैदा करना:** इस परियोजना (पूर्ववर्ती 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचालनों का सुदृढ़ीकरण' योजना का घटक) के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) लाभार्थियों के बीच उनके अधिकार और निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्यों को उनसे प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है। इस परियोजना की समाप्ति तिथि 31.03.2024 है।

24. **एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों के अंतर्राज्यीय परिवहन हेतु राज्य एजेंसियों को सहायता और एफपीएस मार्जिन:** यह प्रावधान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खाद्यान्नों के रखरखाव, अंतर्राज्यीय संचलन और उचित दर दुकानों के डीलर को संदत्त मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा करने हेतु राज्य-सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए है।

25. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्यगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार हेतु योजना (स्मार्ट-पीडीएस):** यह प्रावधान टीपीडीएस ऑपरेशन्स के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण द्वारा लाए गए प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों को बनाए रखने और पीडीएस में प्रौद्योगिकी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत है।